भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0–टी0 ए0 मिस वाद सं0– 111A/2019-20

केस का प्रकार–(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

जितेन टुडू ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

अर्जुन माझी..................................क्रेता

क	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

-2020

विक्रेता :– जितेन टुडू पिता स्व0 मोचीराम टुडू, ग्राम–रायपुर थाना– काण्ड्रा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड), जाति–संथाल।

क्रेता :– अर्जुन माझी पिता स्व0 गोरा माझी, ग्राम–रायमारा, थाना–काण्ड्रा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ(झारखण्ड), जाति–संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 25.10.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता अर्जुन माझी पिता स्व0 गोरा माझी, ग्राम–रायमारा, थाना–काण्ड्रा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :–

:: **भूमि का विवरण** ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
रायपुर	काण्ड्रा / 10	63	757	70डि0
			758	14डि0
			कुल–	**84डि0**

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, गम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, गम्हरिया का पत्रांक 71 दिनांक 03.02.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :–

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के दादाजी एवं अन्य के नाम से दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पिता के मृत्यु के पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास 2 एकड़ से अधिक भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहता है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति–'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार..........................2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, गम्हरिया ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 25.10.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता जितेन टुडू पिता स्व0 मोचीराम टुडू, ग्राम–रायपुर, थाना–काण्ड्रा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता अर्जुन माझी पिता स्व0 गोरा माझी, ग्राम–रायमारा, थाना–काण्ड्रा, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–84डि0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

20/02/2020
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।